


13<sup>4</sup>/<sub>26</sub>

उपखण्ड अधिकारी, बाली

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित। पत्रावली के अन्वयान के अनुसार तीन बार आवाजें लगाई जाने के बावजूद प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे हैं, अतः पत्रावली अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



सहायक क्लर्क एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, बाली